राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 76/2014/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 सद्भाव इंजीनियरिंग लि0,
उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री श्याम बोकड़िया,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा)के अपील संख्या 331/वेट/12–13/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत, बांसवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के शास्ति आदेश को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 08.09.2012 को वाहन संख्या जी.जे.07–टीटी/9257 को नेशनल हाईवे नं.8 रतनपुर पर परिवहन के दौरान चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 की फोटो प्रति संलग्न है मूल घोषणा पत्र संलग्न नहीं है। अतः वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने से धारा 76(6) में वाद दर्ज कर, पत्रावली निष्पादन हेतु सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–प्रथम बांसवाड़ा को प्रेषित की। उक्त अधिकारी ने वाद दर्ज कर, धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने के कारण, प्रत्यर्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में श्री श्याम एस.बोकड़िया ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर, जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध माल कीमतन रू0 4,00,000/–पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 1,20,000/–आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी–व्यवहारी ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

लगातार.....2

18-9-2015

करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 07.08.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कथन किया कि वक्त चैकिंग वाहन चालक/माल प्रभारी नें वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 की फोटो प्रति संलग्न है मूल घोषणा पत्र संलग्न नहीं है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा सिद्ध होती है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है। इन्होंने राज्य के बाहर से कार्य करने के लिए मशीनरी अन्य साईड से राजस्थान में लाई जा रही थी जो कि तीन वाहनों में लदी हुई थी। मूल प्रपत्र वेट–47 नं0 0392600 एक ही वाहन के साथ था। अन्य दो वाहनों के साथ प्रपत्र वेट–47 की फोटो प्रतियॉ संलग्न थी। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जॉच करापवंचन की मंशा मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मूल प्रपत्र वेट–47 नं0 0392611 प्रस्तुत कर दिया। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है जिसे अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत कार्य किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित मै0 हिरामणी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 27.04.2013 प्रस्तुत करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया। यह स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग परिवहन के दौरान मशीनरी अन्य साईड राज्य के बाहर से राजस्थान में लाई जा रही थी जो कि तीन वाहनों में लदी हुई थी। यह सही है कि मूल प्रपत्र वेट–47 नं0 0392600 एक ही वाहन के साथ था एवं अन्य दो वाहनों के साथ प्रपत्र वेट–47 की फोटो प्रतियॉ संलग्न थी। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जॉच करापवंचन की मंशा मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नया प्रपत्र वेट–47 नं0 0392611 प्रस्तुत कर दिया। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की इसमें करापवंचन की मनोदशा नही थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिद्ध भी नहीं किया हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत कार्य किया है। माननीय राजस्थान उच्च

18-9-2015

लगातार.....3

न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होता है इसलिए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित शास्ति विधिविरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

फलस्वरूप अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.08.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य